

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2016 को अपरान्ह 12:30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस0एल0 एस0एम0सी0) की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

निदेशक, सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी, जिसमें अवगत कराया गया है कि उक्त योजना की प्रथम बैठक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2015 को की गयी थी, जिसमें सभी 635 निकायों को उक्त योजनान्तर्गत समिलित करने का निर्णय लिया गया।

2. राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें अनिवार्य सुधारों के साथ शर्तों को निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

3. मंत्री परिषद से अनुमोदनोपरान्त उक्त योजना का शासनादेश दिनांक 21.03.2016 को जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत एस0एल0एस0एम0सी0 एवं एस0एल0ए0सी0 का गठन किया गया तथा सूडा को एस0एल0एन0ए0 नामित किया गया।

4. दिनांक 25.04.2016 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रथम एस0एल0एस0एम0सी0 की बैठक की गयी, जिसमें आसरा योजनान्तर्गत 08 योंजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के भागीदारी में किफायती आवास घटक से डबटेल करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। तदुपरान्त उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिसे भारत सरकार द्वारा सी0एस0एम0सी0 की बैठक में आवासों का क्षेत्रफल एनबीसी के मानकों के अनुरूप न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। उक्त के कम में एनबीसी मानकों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव मंत्री परिषद के अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाना है। वर्तमान में प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (भवन), उ0प्र0 को तकनीकी परीक्षण हेतु प्रेषित गया है।

5. सभी 635 स्थानीय निकायों में एचएफएपीओए हेतु आर0एफ0पी0 दिनांक 14.06.2016 को प्रकाशित की गयी, जिसके कम में दिनांक 25.07.2016 को प्री-बिड की बैठक की गयी तथा तकनीकी बिड दिनांक 04.08.2016 को अपरान्ह 3:30 बजे खोला जाना है।

6. अन्य आवासीय योजनाओं में आसरा योजना की 187 परियोजनाओं में 34162 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 13970 आवास पूर्ण एवं 7457 आवास प्रगति पर, बी0एस0यूपी0 योजना की 67 परियोजनाओं में 45599 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 38968 आवास पूर्ण एवं 6631 आवास प्रगति पर, आई0एच0एस0डॉपी0 योजना की 159 परियोजनाओं में 37818 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 26657 आवास पूर्ण एवं 11161 आवास प्रगति पर तथा राजीव आवास योजना की 18 परियोजनाओं में 8409 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 2916 आवास पूर्ण एवं 998 आवास प्रगति पर हैं।

विस्तृत विचार—विमर्श के उपरान्त एजेंडा बिन्दुवार निम्नवत निर्णय लिये गये:—
एजेंडा बिन्दु सं0 1:-

State Level Technical Cell (SLTC) and City Level Technical Cell (CLTC) के गठन एवं क्रियान्वयन के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु विचार विमर्श।

कैपिसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत योजना में एस0एल0टी0सी0 के गठन का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 10 विशेषज्ञ कमश: अरबन प्लानर/टाइन प्लानिंग स्पेशलिस्ट, हाऊसिंग फाइनेन्स और पालिसी स्पेशलिस्ट, म्यूनिसिपल/सिविल

इन्जीनियर, पीपीपी स्पेशलिस्ट, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट, कैपिसिटी बिल्डिंग/इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैथनिंग स्पेशलिस्ट, एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, आईईसी/नोलिज मैनेजमेन्ट स्पेशलिस्ट एवं प्रोक्यूरमेन्ट स्पेशलिस्ट के 1-1 पद प्रतावित किये गये हैं, जिनकी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव भारत सरकार द्वारा जारी योजना की गाइड लाइन के अनुसार होगी। उक्त 10 विशेषज्ञों के दो वर्ष का मानदेय, प्रशासनिक व्यय (मानदेय का 25%), सर्विस टैक्स (मानदेय का 14%) कुल रु0 283.56 लाख, जिसमें केन्द्रीय सहायता (75%) रु0 191.25 लाख तथा राज्य सहायता (25%) रु0 76.37 लाख प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्तानुसार एस0एल0टी0सी0 के गठन पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त सी0एल0टी0सी0 का गठन प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय का भी प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 250 विशेषज्ञों द्वारा कार्य किया जायेगा, जिसका गठन जनपद मुख्यालय की नगरीय जनसंख्या के आधार पर होगा। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद मुख्यालयों में 05 विशेषज्ञ कमशः म्यूनिसिपल/सिविल इन्जीनियर, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट, एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, म्यूनिसिपल फाइनेन्स स्पेशलिस्ट तथा अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट होंगे। 05-15 लाख की जनसंख्या वाले जनपद मुख्यालयों में 04 विशेषज्ञ कमशः म्यूनिसिपल/सिविल इन्जीनियर, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट, एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट तथा म्यूनिसिपल फाइनेन्स स्पेशलिस्ट होंगे। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले जनपद मुख्यालयों में 03 विशेषज्ञ कमशः म्यूनिसिपल/सिविल इन्जीनियर, सोशल डेवलपमेन्ट स्पेशलिस्ट तथा एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट होंगे, जिनकी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव भारत सरकार द्वारा जारी योजना की गाइड लाइन के अनुसार होगी।

उक्त 250 विशेषज्ञों के दो वर्ष का मानदेय, प्रशासनिक व्यय (मानदेय का 25%), सर्विस टैक्स (मानदेय का 14%) कुल रु0 4260.07 लाख, जिसमें केन्द्रीय सहायता (75%) रु0 2873.25 लाख तथा राज्य सहायता (25%) रु0 1386.82 लाख प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्तानुसार सी0एल0टी0सी0 के गठन पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अवगत कराया गया है कि एस0एल0टी0सी0 और सी0एल0टी0सी0 को कियाशील बनाने के लिए प्रशासनिक व्यय एवं सर्विस टैक्स की मांग भारत सरकार से की गयी है, परन्तु गाइड लाइन में उक्त के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से सर्विस टैक्स व प्रशासनिक व्यय की मांग कर ली जाय। यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इस वर्ष के बजट एलोकेशन में प्रशासनिक व्यय (विशेषज्ञ के पारिश्रमिक का 25%) व सर्विस टैक्स (विशेषज्ञ के पारिश्रमिक का 14%) का अतिरिक्त प्राविधान अनुमन्य करने हेतु सहमति दी गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 2:-

Capacity Building Plan के अन्तर्गत ट्रेनिंग/वर्कशॉप (State Level/Thematic), Exposure Visit/Study Visit (in country), Case Studies/Research Studies कार्य कराने के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु विचार विमर्श।

कैपिसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत 03 एक्सपोजर/स्टडी विजिट (रु0 3.00 लाख प्रति की दर से), प्रशिक्षण/वर्कशॉप के अन्तर्गत 04 राज्य स्तरीय (रु0 2.00 लाख प्रति की दर से), 38 शहर स्तर पर (रु0 1.00 लाख प्रति की दर से), 04 विषयगत कार्यशाला (रु0 3.00 लाख प्रति की दर से), 10 केस स्टडी/रिसर्च स्टडी के लिए (रु0 5.00 लाख प्रति की दर से) कुल रु0 132.00 लाख प्रस्तावित किये गये हैं, जो पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। समिति द्वारा उक्त की सहमति दी गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं ३:-

योजना के प्रचार-प्रसार करने, HFAPoA तैयार करने एवं कैम्प आदि लगाने के लिए आई०ई०सी० मद में कार्य कराने के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु विचार विमर्श।

प्रदेश की 635 स्थानीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लान ऑफ एक्शन के लिए डिमाण्ड सर्वे किया जाना है, जिसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। अतः योजना के प्रचार-प्रसार हेतु आई०ई०सी० मद में ₹० 2500.00 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया। निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पुनः धनराशि की मांग कर ली जाये। यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इस वर्ष के बजट एलोकेशन में आई०ई०सी० मद में अतिरिक्त प्राविधान अनुमन्य करने हेतु सहमति दी गयी, जिस हेतु अलग से सूडा द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

अन्य बिन्दुः-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को एस०एल०एस०एम०सी० का सदस्य नामित किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए निधारित न्यूनतम 250 आवास व 35 प्रतिशत ई०डब्ल्य०एस० आवास निर्माण व अन्य शर्तों को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत एर्फॉडेबुल हाऊसिंग नीति में समाहित किये जाने एवं प्रति ई०डब्ल्य०एस० आवास की सीलिंग कॉस्ट निर्धारित कर शासनादेश जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन घटकों (ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना को छोड़कर) के लिए महायोजना में दी जाने वाली विभिन्न छूटों एवं भारत सरकार द्वारा अधिरोपित छ: अनिवार्य शर्तों को समय सारिणी के क्रम में पूर्ण किये जाने हेतु आवास विभाग को निर्देशित किया गया।
4. लाभार्थी आधारित निर्माण (बी०एल०सी०)/सी०एल०एस०एस० के अन्तर्गत आच्छादित आवास निर्माण हेतु मानचित्र को मानकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृति से छूट के सम्बन्ध में आवास विभाग एक माह में विचार कर निर्णय लें।
5. आसरा योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना से डिवटेल करने हेतु आसरा के आवासों का क्षेत्रफल एनबीसी मानकों के अनुरूप बढ़ाने के संशोधित प्रस्ताव को मंत्री परिषद से अनुमोदन कराने की सहमति दी गयी।

उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

०५/०१/२०१८
(श्रीपुकाश सिंह)
सचिव

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग ।
संख्या:-०६/ ६९-१-२०१६-१४(२३५) / २०१५
लखनऊ : दिनांक : ०५ अगस्त, २०१६

कार्यालय-आदेश

उपरोक्त की प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, मार्ग मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ ।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
13. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ।

आज्ञा द्वारा
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव ।